... आज बहस सुनी गई पत्रावली पत्रावली आदेश में दिनांक 30.10.25 को पेश हो।

30.10.25 पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे हैं
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 11.12.25 को पेश की जावे

11.12.25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र अ.धा.136 RA पर अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा बेगू प.ह. बेगू के खाता स. 22 आ.स. 17, 1763, 1766, कुल किता-3 कुल रकबा 0.5590 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता लादू सिंह जी की मृत्यु उपरांत प्रार्थी के विरासत का नामांतरण राजस्व रेकार्ड मे राजस्व कर्मचारीयो की गलती से बिना जानकारी किये प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड के विरासत के नामान्तरण मे "अभय सिंह चुण्डावत" के बजाय बोलता नाम दारा सिंह अंकित कर दिया है। जो राजस्व कर्मचारीयो की लिपिकीय भूल है। अतः प्रा.पत्र अ.धा.136 RA का स्वीकार कर उक्त राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से अंकित हुए "दारा सिंह" नाम के बजाय जरिये शुद्धीकरण के "अभय सिंह चुण्डावत" नाम अंकित किया जाने का आदेश फरमाया जावे।
प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत तहसीलदार बेगू द्वारा जवाब प्रा.पत्र व सलग्न भू.अ.नि. बेगू की रिपोर्ट व पर्चा मौका का अवलोकन किया गया एवं प्रा.पत्र मे सलग्न दस्तावेज मत दाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, कार्यालय निर्वा. पंजीयन अधि. (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा, प्रो.मार्क-ध. का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया। उक्त सभी दस्तावेजो मे अभय सिंह पिता लादू सिंह नि. भीलवाड़ा

जवाब प्रा.पत्र मे दिनांक 19-5-25 का पराल...

जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज अंकित है। प्रकरण मे तहसीलदार बेंगू द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा·पत्र मे वर्तमान भू· अभि· नि· तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पर्चा मौका अनुसार प्रार्थी का बोलता नाम दारा सिंह रेकार्ड मे अंकित किया गया है। प्रार्थी लम्बे समय से भीलवाड़ा मे निवास करता है। दारा सिंह तथा अभय सिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार अभय सिंह के बजाय दारा सिंह नाम रेकार्ड मे अंकित हुआ है। प्रकरण मे प्रस्तुत जवाब प्रा·पत्र एवं दस्तावेजो का गहन अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड मे कर्मचारीयो की लापरवाही से प्रार्थी का नाम गलत अंकीत कर दिया गया है। जिसे सुधारा जाना हम न्याय संगत समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा·पत्र अ· धा· 136 L.R.A को स्वीकार किया जाता है। मौजा बेंगू प·ह· बेंगू के खाता सं· 22 आ·सं· 17, 1763, 1766 कुल किता-3 कुल रकबा-0.5590 है· भूमि के राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दारा सिंह के स्थान पर दारा सिंह उर्फ अभय सिंह पिता लादू सिंह किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।